न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 23/014 तारीख रजू 07.07.2014

1 कजोडमल जागिड खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करौली :—आवेदक

बनाम

1. मैसर्सः— जिन्दल इन कार्पोरेशन,जिन्दल फार्म हाउस पाण्डे का कुआ हिण्डौन रोड कारौली मालिक श्री सत्यप्रकाश जिन्दल पुत्र श्री ब्रजमोहन जिन्दल साकिन सायनाथ खिडकिया करौली

2 (i)फर्म हिन्दुस्तान कोकोकोला बैबरिज प्राईवेट लिमिटेड एसपी—39—40 रिको इन्डि.काला डेरा तहसील चौमू जयपुर

(ii) फर्म का नोमिनी श्री अजय कुमार चौधरी हिन्दुस्तान कोकोकोला बैबरिज प्राईवेट लिमिटेड एसपी—39—40 रिको इन्डि.काला डेरा तहसील चौमू जयपुर — अभियुक्तगण

जुर्म अंतगर्त धारा 26 की उपधारा (2)(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

निर्णय दिनांक 30.07.2019

संक्षिप्त मे प्रकरण इस प्रकार है कि खाद्व सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करौली द्वारा एक प्रकरण अन्तर्गत धारा 26 की उपधरा (2)(ii) धारा 52 का उल्लधंन के तहत गैरसायलान (अभियुक्त) के विरूद्व इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है जिसमे गैरसायलान मैसर्स जिन्दल इन कार्पोरेशन,जिन्दल फार्म हाउस पाण्डे का कुआ हिण्डौन रोड कारौली मालिक श्री सत्यप्रकाश जिन्दल पुत्र श्री ब्रजमोहन जिन्दल साकिन सायनाथ खिडकिया करौली का कार्य करता है जिसमे आम जनता को खाद्य पदार्थ के इस्तेमाल के लिऐ स्वीट् कार्बोनेटेड वाटर, मेंगो फ्रेक्ट्स माजा, आदि बेचता है। इस खाद्व पदार्थ मे मिलावट का अन्देशा होने पर मैने दुकान मालिक यानि गैरसायल नम्बर 1 से मेंगो फ्रेक्ट्स माजा लेने को कहा गया एवं शुद्वता की जॉच हेतु लिया गया जिसकी सूचना दुकान मालिक को जरिये प्रपत्र 5 ए देकर एक प्रति पर प्राप्ति हस्ताक्षर लिऐ गये एवं उपस्थित गवाहो के हस्ताक्षर कराकर मैने हस्ताक्षर किये गये प्लास्टिक की बोतलो मे सील पैक 1.2 लीटर की 4 बोतल मे से जॉच हेतु खरीद कर प्राप्त किये गये जिसे खाद्व विश्लेषक अलवर के यहॉ जॉच हेतु भेजा गया, नमूना ए.एल 349 दिनांक 8.5.2013 जॉच रिपोर्ट मे उक्त नमूना सील पैक मेंगो फ्रेक्ट्स

आया। और एक प्रार्थना पत्र एफ. एस. ए. नियम 3.1.1.(6) का पेश कर निवेदन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विधि के अनुरूप नमूना नही लिया गया है। तथा इसकी सूचना भी अप्रार्थीयान को उपलब्ध नही कराई गई है ना ही किसी प्रकार की स्वतंत्र लिये गये है। मात्र कथातथीत प्रकरण तैयार करके न्यायालय में पेश किया गया है क्योकि नमूना दिनांक 08.05.2013 को लिया गया था धारा 77 के तहत 1 वर्ष की अवधी में न्यायालय में दावा पेश करना चाहिए था जो देरी से पेश किया गया है। नियम विरूद्व है। प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर इसी स्टेज पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी की प्रार्थनापत्र पर बहस सुनी गई तथा पत्रावली मे उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकरन करने पर खाद्य सुरखा अधिकारी द्वारा 08.05.2013 को नमूना लिया गया था जिसकी जॉच नियत समय पर प्राप्त होने पर अप्रार्थीयान को भी सूचना दी गई जहा पर वाद को न्यायालय में पेश करने का सवाल है बहा पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा तय सीमा मे ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दिनांक 09.04.2014 को आदेश जारी किये गये जो 1 साल की अवधी में है विधि अनुसार समस्त कार्यवाही समय पर की गई है। अप्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है।

वकील अप्रार्थीयान ने अपने बहस कथन मे कहा कि इस नमूने की चुनौती देने हेतु किसी प्रकार की कोई सूचना नही दी गई है। प्रकरण खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वार म्याद बहार होने पर पेश किया गया है जो चलने योग्य नही है। गैरसायल द्वारा किसी प्रकार की कोई मिलावट नही की जाती है जिस प्रकार का माल तैयार होता है उसी अनुसार आम जनता को बिक्रय किया जाता है तथा नियमो के अनुसार ही खाद्य सुरक्षा पदार्थ बोतलो पर इसी अनुसार अंकन किया जाता है किसी प्रकार का मिथ्याछाप अंकन नही किया जाता है। अंत में प्रार्थनापत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

हमने वकील अप्रार्थीयान की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली मे उपलब्ध आवेदक के प्रार्थना पत्र एवं जबाव का अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदक ने गैरसायल नम्बर 1 के प्रतिष्ठान से दिनांक 08.05.2013 को सील पैक स्वीट् कार्बोनेटेड वाटर, मेंगो फ्रेक्ट्स माजा, का नमूना लिया गया था जो खाद्व विश्लेषक जयपुर द्वारा इसे मिसब्राण्ड माना गया है। खाद्व विश्लेषक अलवर राजस्थान से प्राप्त रिपोर्ट एल.एस./908/एक्ट/2013/583 दिनांक 12.06.2013 के अनुसार खरीदा गया स्वीट् कार्बोनेटेड वाटर, मेंगो फ्रेक्ट्स माजा मिसब्राण्ड किस्म का पाया जाना बताया गया है। इस प्रकार से गैरसायलान द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मिसब्राण्ड का है। और इस जॉच रिपोर्ट की चुनौती देने हेतु आवेदक ने अभियुक्त को धारा 46(4) के तहत 30 दिवस का समय दिया गया था जिसकी प्राप्ति रसीद पत्रावली मे शामिल है। जहा पर वकील

नही कराई गई है। जिससे यह विदित होता है कि गैरसायल नम्बर 1 को सूचना मिलने के उपरान्त भी कोई कार्यवाही ना कर अपनी सहमति जाहिर की है। आवेदक द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियमो के तहत ही यह कार्यवाही की गई है। जिसमे खाद्य विश्लेषक ने खाद्य पदार्थ को मिसब्राण्ड माना गया है। गैरसायल नम्बर 1 व 2 के पास जब राज सरकार द्वारा खाद्य पदार्थ विक्रय करने हेतु लाईसेन्स जारी किया हुआ है इस लाईसेन्स मे खाद्य पदार्थ विक्रय करने/खरीदने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियमो एवं लेविलिंग नियम 2011 की पूर्ण जॉच करने के उपरान्त ही आम जनता को विक्रय करना चाहिऐ था किन्तु गैरसायलान द्वारा इस ओर किसी प्रकार का ध्यान नही देकर सीधे ही आम जनता को विक्रय किया गया है जो नमूना गुणवत्ताओ के आधार पर मानक अधिनियम के तहत नही है। तथा आम जन्ता को भ्रामक प्रचार करते हुए अपने सामान का बिक्रय किया गया है। लिया गया नमूना मिसब्राण्ड होने पर इसके विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित है।

अतः आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम जुर्म अंतगर्त धारा 26 की उपधारा 2(ा) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 के तहत अप्रार्थी को 3100/– रूपये अंकेन तीन हजार सौ रूपये के दण्ड से दण्डित किया जाता है अभियुक्त को निर्देश दिये जाते हैं कि सात दिवस में उक्त राशि न्यायालय में जमा कराई जावे तथा भविष्य मे खाद्य पदार्थ विक्रय करने से पूर्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्राब्धानो के अनुसार आम जनता को खाद्व पदार्थ का विक्रय /उपभोग मे लिया जावे। निर्णय की प्रति खाद्व सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करौली को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.7.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

अति0जिला कलक्टर
करौली